समाहरणालय, मधेपुरा

(गोपनीय शाखा)

श्री गोपाल मीणा, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 19-01-2015 को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की गयी सोमवारीय (Monday Meeting) बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : पंजी के अनुसार।

2-अनुपस्थित पदाधिकारी

बैठक से निम्नांकित पदाधिकारी अनुपस्थित पाये गये, जिसकी विवरणी निम्नवत् पायी गयी :-

क्र0	पदाधिकारी का पदनाम	अनुपस्थिति का कारण
1	सिविल सर्जन, मधेपुरा	प्रमण्डलीय बैठक में भाग लेने हेतु गये हैं।
2	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा	प्रमण्डलीय बैठक में भाग लेने हेतु गये हैं।
3	जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा	प्रमण्डलीय बैठक में भाग लेने हेतु गये हैं।
4	प्रभारी पदा0, जनशिकायत कोषांग, मधेपुरा	प्रमण्डलीय बैठक में भाग लेने हेतु गये हैं।
5	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मधेपुरा	प्रमण्डलीय बैठक में भाग लेने हेतु गये हैं।
6	कार्य0अभि0,सिंचाई प्र0, रघोपुर	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
7	वरीय परि0अभि0, बिहार राज्य पुल नि0नि0, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
8	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सहरसा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
9	वनो के क्षेत्र पदाधिकारी, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
10	जिला खनन पदाधिकारी, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
11	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता, मधेपुरा	प्रमण्डलीय बैठक में भाग लेने हेतु गये हैं।
12	उप महा प्रबंधक (तक0), बि0स्टेट0रोड0डे0कॉ0लि0, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।

3-कार्यवाही

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों को बैठक में भाग लेने के लिए स्वागत किया गया तथा नववर्ष की शुभकामना दी गई। बताया गया कि अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में उक्त बैठक बहुत दिनों के बाद हो रही है। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

4- जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कई माह से जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक नहीं आयोजित की गयी है, फलस्वरुप उक्त बैठक कराया जाना वांछनीय है। बताया गया कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शिक्षा, मध्याह्न भोजन योजना एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक माननीय सांसद

(लोकसभा) महोदय की अध्यक्षता में किया जाना है। इस हेतु उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को संचिका उपस्थापित किये जाने का अनुरोध किया गया। जिलाधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि विगत जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में दिए गए निर्देश का अनुपालन, सभी संबंधित पदाधिकारी अविलम्ब सुनिश्चित करावें तथा अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध करावें।

(अनुपालन-उप विकास आयुक्त /सिविल सर्जन /जिला शिक्षा पदा0 /सभी संबंधित पदा0)

5-कल्याण

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कल्याण अन्तर्गत छात्रवृति वितरण का कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, जिसके कारण आये दिन विभिन्न छात्रों द्वारा अधोहस्ताक्षरी के दूरभाष पर छात्रवृति तथा कल्याण विभाग अन्तर्गत शिक्षा ऋण आदि के संबंध में सूचित किया जाता है कि उन्हें अभी तक उक्त लाभ नहीं मिल पाया गया है, जिसके कारण बाहर कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को काफी कठिनाई उत्पन्न होती है। यह भी बताया गया कि उक्त मद में कितना आवंटन प्राप्त हुआ, कितना वितरण हुआ तथा कितना अवशेष है, इसकी विवरणी भी उपलब्ध नहीं करायी गयी है। जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि छात्रवृति वितरण, प्रोत्साहन राशि वितरण, शिक्षा ऋण, विभाग द्वारा प्राप्त आवंटन, व्यय की गयी राशि आदि से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन प्रखंडवार एवं विद्यालयवार दो दिनों के अंदर उपलब्ध करावें। साथ ही जहां वितरण कार्य नहीं हुआ है, वहां पुनः कार्यक्रम बनाकर नियमानुसार वितरण सुनिश्चित करावें।

(अनुपालन-उप विकास आयुक्त /सिविल सर्जन /जिला शिक्षा पदा0 /सभी संबंधित पदा0)

6-Ranking

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि राज्य स्तर से विभिन्न विभागों का रैकिंग किया जाता है, किन्तु अधोहस्ताक्षरी को इस बात की जानकारी नहीं हो पाती है। बताया गया कि मधेपुरा जिला में जिला पंचायत का रैकिंग राज्य में तीसरा स्थान, शिक्षा का 34 एवं आर0टी0पी0एस0 का 25 है। संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि जिस-जिस विभाग का रैकिंग बहुत नीचे है, वे अपने-अपने विभाग के रैकिंग को बढ़ाने हेतु आवश्यक प्रयास करें तथा इसकी जानकारी अधोहस्ताक्षरी को भी दिया जाए।

(अनुपालन-सभी संबंधित पदाधिकारी)

7-शिक्षा

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्तमान में शिक्षक नियोजन का कार्य चल रहा है। बताया गया कि आये दिन अधोहस्ताक्षरी के दूरभाष पर एवं मिलकर शिकायतें प्राप्त हो रही है कि शिक्षक नियोजन में अभ्यर्थियों द्वारा प्रखंड /पंचायत स्तर पर शिकायत करने पर न तो उनकी बात सुनी जा रही है और न ही आवेदन प्राप्त किया जा रहा है। आवेदन देने हेतु जाने पर न तो पंचायत सचिव उपलब्ध रहते हैं और न ही आवेदन लेने की कोई व्यवस्था रहती है, यह स्थिति अत्यंत ही खेदजनक है। यह भी बताया गया कि इस कार्यालय के पत्रांक-144/गो0, दिनांक-17-01-2015 द्वारा शिक्षक नियोजन के संबंध में आवेदनकर्त्ताओं द्वारा यदि कोई शिकायतें दी जाती है, तो प्रखंड /पंचायत स्तर पर किसी सहायक /पंचायत सचिव को नामित करने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेशित किया गया है तथा यह भी निदेश दिया गया कि प्राप्त शिकायतों को पंजीबद्ध करें, नामित सहायक /पंचायत सचिव अवकाश में रहते हैं, तो उनके स्थान पर किसी अन्य को शिकायत प्राप्त करने हेतु अधिकृत करें एवं ससमय सुनवाई कर उसे निष्पादित

करें। बताया गया कि यदि उक्त कार्य में पंचायत रोजगार सेवक को प्रशिक्षण देकर लगाया जा सकता है। साथ ही प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम एवं मोबाईल नम्बर अवश्य अंकित किया जाए।

जिलाधिकारी द्वारा जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि इस संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति निकाला जाए तथा लोगों को जानकारी दी जाए कि पंचायत सचिव उक्त कैम्प में ससमय उपस्थित रहेंगे तथा पंचायत रोजगार सेवक भी उपस्थित रहेंगे।

यह भी बताया गया कि किस प्रखंड /पंचायत में किस कोटि के शिक्षक की बहाली की जाएगी, इससे संबंधित दो रोस्टर को जिले के वेबसाईट पर दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि सही रोस्टर को जिला के वेबसाईट पर लगाया जाए।

(अनुपालन–जिला शिक्षा पदा0/जिला पंचायत राज पदा0/जिला जनसम्पर्क पदा0/सभी संबंधित पदा0)

8–कोषागार

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिस–जिस विभाग में आकस्मिकता निधि की राशि पर्याप्त मात्रा में है, उसे माह–31 जनवरी, 2015 के पूर्व नियमानुसार निकासी किया जाए अन्यथा विभाग को प्रत्यार्पण किया जाए। बताया गया कि अनुमण्डल कृषि कार्यालय, जिला कृषि, जिला पशुपालन, जिला सहकारिता, अध्यक्ष, उपभोक्ता फोरम, देशी चिकित्सा पदाधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिविल सर्जन, मधेपुरा, प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा, अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज, प्रिसिंपल, आई0टी0आई0, जिला कल्याण पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा, कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, मधेपुरा, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्र0, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज, अधीक्षक, सदर अस्पताल, मधेपुरा, डेरी विकास, जिला मत्स्य पदाधिकारी, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि में वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्राप्त कुल आवंटन में से निकासी करने के बाद आवंटन की अवशेष राशि पड़ी हुई। सभी संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि जनवरी, 2015 के अंत तक नियमानुसार राशि की निकासी सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि विभाग को वापस किया जाए। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि यदि जिन विभागों द्वारा ससमय राशि की निकासी नहीं की जाती है, तो वैसे परिस्थिति में उन पदाधिकारियों से कारण पृच्छा पूछने का निदेश कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा /प्रभारी पदा0, जिला गोपनीय शाखा को दिया गया।

जिलाधिकारी द्वारा जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि वर्दी मद में जो भी आवंटन है, उसकी निकासी ससमय कर, सभी संबंधित कर्मियों को उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे कार्यालय में युनिफॉर्म में आ सके।

(अनुपालन–कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा /सभी संबंधित पदाधिकारी)

9–माननीय मुख्यमंत्री का भ्रमण कार्यक्रम

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 27-01-2015 को कुमारखंड प्रखंड के टेंगराहा भोकराहा तथा पुरैनी प्रखंड के बलिया में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार का भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है, फलस्वरूप सभी संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि अपने–अपने विभाग /कार्यालय से संबंधित मामलों के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें तथा पूर्व से ही सारी तैयारी सुनिश्चित किया जाए। जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि

कृषि यांत्रिकीकरण मेला आदि के संबंध में आवश्यक तैयारी सुनिश्चित किया जाए। साथ ही अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि पूर्व से प्राप्त पर्चाधारियों को दखल दिलाने संबंधी आवश्यक कार्रवाई की जाए। जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि कल्याण विभाग अन्तर्गत उक्त ग्राम पंचायत में छात्रवृति वितरण एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास आदि संबंधी लंबित कार्यो का निष्पादन अविलम्ब करें तथा अनुपालन से अवगत करावें।

पाया गया कि जिला कल्याण कार्यालय की स्थिति बहुत ही दयनीय है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि कल्याण कार्यालय के कार्यो का पर्यवेक्षण किया जाए तथा अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।

(अनुपालन-जिला कल्याण पदा0 /जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदा0 /प्रभारी पदा0, गोपनीय /सभी संबंधित पदाधिकारी)

10-आगामी सिंहेश्वर मेला की तैयारी

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 17-02-2015 से सिंहेश्वर मेला प्रारंभ होगा, जिसकी तैयारी अभी से ही किया जाना आवश्यक है। बताया गया कि उक्त मेला में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना है तथा जिला स्तर से दण्डाधिकारियों /पुलिस पदाधिकारियों /बलों की प्रतिनियुक्ति की जानी है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा को निदेशित किया गया कि जिले में जो भी नये पदाधिकारी का पदस्थापन हुआ है, उसकी सूची तैयार कर विशेष दण्डाधिकारी की शक्ति हेतु विभाग को पत्राचार किया जाए।

(अनुपालन-प्रभारी पदा0, गोपनीय)

11-बाढ़ आश्रय पशु शरण स्थल हेतु भूमि की आवश्यकता

कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि बाढ़ आश्रय पशु शरण स्थल हेतु जमीन की अनुपलब्धता रहने के कारण उक्त कार्य के निर्माण में कठिनाई उत्पन्न हो रही है, फलस्वरूप जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा से विद्यालय परिसर में खाली पड़े जमीन को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

(अनुपालन-जिला शिक्षा पदा0/कार्य0अभि0,स्थानीय क्षेत्र अभि0सं0, मधेपुरा)

12-योजना

बैठक में उपस्थित जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि पर्यटन विभाग द्वारा सिंहेश्वर मंदिर में विद्युत वायरिंग ठीक कराने हेतु राशि उपलब्ध कराया गया है, किन्तु भवन प्रमण्डल, मधेपुरा द्वारा उक्त राशि का व्यय नहीं किया जा रहा है। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि सिंहेश्वर मंदिर में विद्युत संबंधी कार्य अविलम्ब सम्पन्न कराया जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकार के उप सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-12578, दिनांक-31-12-2014 द्वारा कब्रिस्तान घेराबंदी मद में वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन राशि के विरूद्ध व्यय प्रतिवेदन दिनांक 28-01-2015 तक विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। जिला योजना पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी तथा कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि

वांछित प्रतिवेदन अविलम्ब तैयार कर ससमय विभाग को उपलब्ध करावें तथा अनुपालन से अगली बैठक में अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–जिला योजना पदा0/जिला कल्याण पदा0 /कार्य0अभि0,स्थानीय क्षे0 अभियंत्रण संगठन)

13–कृषि

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कृषि निदेशक, बिहार, पटना के पत्रांक–24, दिनांक–14-01-2015 द्वारा दियारा विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में नहीं व्यय हो सकने वाले मदों की राशि को व्यय हो सकने वाले मदों की राशि में परिवर्तित करने के संबंध में निदेश दिया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि विभागीय निदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

(अनुपालन–जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा)

14–आपूर्ति

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विशेष कार्य पदाधिकारी (कम्प्युटर), बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0, पटना के पत्रांक–603, दिनांक–14-01-2015 द्वारा निगम के "कॉल सेन्टर" में प्राप्त खाद्य सुरक्षा संबंधी शिकायतों का निराकरण ससमय किये जाने का निदेश दिया गया है। बताया गया कि पैना से यह शिकायत मिल रही है कि गोदाम के नहीं रहने के कारण चावल खराब हो रहा है तथा सड़ भी रहा है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा तथा जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा अनुपालन से अवगत करावें। साथ ही अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि अपने पर्यवेक्षण में यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

यह भी बताया गया कि सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–9920, दिनांक–30-12-2014 के द्वारा Pre-fabricated structure पर आधारित 131 गोदामों (भंडारण क्षमता 5.50 लाख मे0 टन) के निर्माण हेतु आवश्यक भूखंड उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। बताया गया कि बिहारीगंज, आलमनगर और मुरलीगंज में गोदाम की आवश्यकता है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि इस संबंध में अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई किया जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए। साथ ही अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा, सभी अनुमण्डल पदाधिकारी तथा सभी अंचलाधिकारियों से अनुरोध है कि इस संबंध में अपने स्तर से भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–9958, दिनांक–31-12-2014 द्वारा जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण करने का निदेश दिया गया है। बताया गया कि एक भी निरीक्षण प्रतिवेदन जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। निदेश दिया गया कि विभागीय निदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अवगत कराया जाए। यह भी निदेश दिया गया कि प्रखंडों के सभी वरीय उप समाहर्त्ता के साथ-साथ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को भी निरीक्षण हेतु निदेशित किया जाए। जिला आपूर्ति पदाधिकारी जनशिकायत के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा भी औचक निरीक्षण कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–जिला आपूर्ति पदा0 /जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0 /अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा)

15-डी0आर0डी0ए0

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- राज्य मुख्य एस0ई0सी0सी0 पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-216149, दिनांक-14-01-2015 द्वारा सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC)-11 के अन्तर्गत अंतिम प्रकाशन ससमय कर विभाग को सूचित करने का निदेश दिया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा तथा जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि विभागीय निदेश के आलोक में अविलम्ब नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें तथा अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। साथ ही उप विकास आयुक्त, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि अपने स्तर से भी इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन-जिला आपूर्ति पदा0/ जिला सूचना विज्ञान अधिकारी/ उप विकास आयुक्त)

16-पंचायत

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-9754, दिनांक-10-12-2014 द्वारा बी0आर0जी0एफ0 क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत पंचायत समिति स्तर पर आई0टी0 सेल की स्थापना, आई0टी0 सेल के सुदृढ़ीकरण एवं प्रियासॉफ्ट के जिला स्तरीय प्रशिक्षण हेतु आवंटित राशि का एम0ओ0पी0आर0 के विहित प्रपत्र एवं बी0टी0सी0 फॉर्म-42ए में उपयोगिता प्रमाण-पत्र और अंकेक्षण प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए। साथ ही उप विकास आयुक्त तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से अनुरोध है कि उक्त पत्र विभागीय निदेश के आलोक में अपने स्तर से भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-202, दिनांक-13-01-2015 द्वारा e-Panchayat MMP के तहत Panchayat Enterprise Suite के 10 Applications का समयबद्ध क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिया गया है। उप विकास आयुक्त, सभी अनुमण्डल पदाधिकारी तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से अनुरोध है कि इस संबंध में अपने स्तर से भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

(अनुपालन-जिला पंचायत राज पदा0/ सभी अनु0पदा0 /सभी प्रखंड विकास पदा0/उप विकास आयुक्त, मधेपुरा)

17-स्वास्थ्य

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक-286, दिनांक 14-01-2015 द्वारा तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के विभिन्न धाराओं का प्रभावी अनुपालन तथा DHIS-2 Web- Portal पर रिपोर्ट अपलोड कराने का निदेश दिया गया है। सिविल सर्जन-सह- सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति को निदेशित किया गया कि इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा वांछित प्रतिवेदन अविलम्ब विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। साथ ही तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के विभिन्न धाराओं अन्तर्गत जुर्माना की राशि वसूली

करने हेतु रसीद, जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा, श्री सुधीर कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा तथा जिला अवर निबंधक, मधेपुरा को भी आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जाए।

यह भी बताया गया कि अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक-262, दिनांक-13-01-2015 द्वारा हाल में प्रकाशित जिला स्तरीय पदों के विज्ञापन को स्थगित करने का निदेश दिया गया है। सिविल सर्जन -सह- सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि विभागीय निदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

(अनुपालन-सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा/ जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा /श्री सुधीर कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता/ जिला अवर निबंधक, मधेपुरा)

18-विकास

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि निदेशक, ब्रेडा, बिहार, पटना के पत्रांक-103, दिनांक-13-01-2015 द्वारा मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा योजना के अन्तर्गत सोलर पम्प की सूची एवं लाभार्थी अंशदान की राशि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। बताया गया कि मात्र 03 लाभार्थी की सूची मधेपुरा जिला से भेजा जाना है और अभी तक वांछित सूची नहीं भेजी जा सकी है, जो खेद का विषय है। जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा, प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा को निदेश दिया गया कि अविलम्ब इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें तथा अनुपालन से अवगत करावें।

यह भी बताया गया कि निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार, पटना के पत्रांक-71, दिनांक-14-01-2014 द्वारा जिले के एक सर्वश्रेष्ठ विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को पुरस्कत करने हेतु निदेश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि वैसे विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को चिन्हित किया जाए, जिसके ऊपर किसी प्रकार की गड़बड़ी, अनियमितता एवं धोखा-धड़ी संबंधी शिकायत नहीं हो, वैसे व्यक्ति को चिन्हित किया जाए।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-62, दिनांक-14-01-2015 द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत जिला का परियोजना प्रस्ताव (Project Proposal) एवं वार्षिक कार्ययोजना (Annual Implementation Plan) समर्पित करने तथा दिनांक 17-01-2015 को आयोजित उन्मुखीकरण कार्यशाला में भाग लेने का निदेश दिया गया है। कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि उक्त कार्यशाला में उनके द्वारा ससमय भाग लिया गया। निदेश दिया गया कि उक्त कार्यशाला से संबंधित राईट-अप अविलम्ब उपलब्ध करावें।

(अनुपालन-प्रभारी पदा0, विकास /कार्य0अभि0,पी0एच0ई0डी0)

19-राजस्व

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि निदेशक -सह- विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-02, दिनांक-12-01-2015 द्वारा लंबित न्यायालय वादों (सी0 डब्लू0जे0सी0 /एम0जे0सी0 /एल0पी0ए0 /एस0एल0पी0) में प्रतिशपथ पत्र /कारण पृच्छा दायर करने के संबंध में निदेश दिया गया है। साथ ही उक्त लंबित मामलों में शीघ्रातिशीघ्र प्रतिशपथ पत्र /कारण पृच्छा दायर करते हुए विभागीय वेबसाईट पर अंकित करने का निदेश दिया गया है। प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि इस संबंध में अविलम्ब नियमानुसार

आवश्यक कार्रवाई करें तथा अनुपालन से अवगत करावें। साथ ही सभी संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि सी0डब्लू0जे0सी0 /एम0जे0सी0 के कोई भी मामला उनके कार्यालय में लंबित नहीं रहे, इसे हरहाल में सुनिश्चित किया जाए अन्यथा यदि किसी भी एम0जे0सी0 /सी0डब्लू0जे0सी0 में प्रतिशपथ पत्र दायर करने में विलम्ब होता है, तो संबंधित पदाधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

(अनुपालन-प्रभारी पदा0, राजस्व /सभी संबंधित पदाधिकारी)

20-निर्वाचन

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना के पत्रांक-112, दिनांक-13-01-2015 द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस दिनांक 25-01-2015 के अवसर पर लाईव वेब कास्टिंग (वेब कास्टिंग) के संबंध में निदेश दिया गया है। उप निर्वाचन पदाधिकारी, आई0टी0 मैनेजर तथा जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को निदेशित किया गया कि इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन-उप निर्वाचन पदा0/ आई0टी0 मेनेजर /जिला सूचना विज्ञान अधिकारी)

21-वी0आई0पी0 परिभ्रमण

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), विशेष शाखा, बिहार, पटना के पत्रांक-284, दिनांक-14-01-2015 द्वारा वी0आई0पी0 परिभ्रमण के दौरान मानक के अनुरूप हैलीपैड तैयार करने संबंधी विस्तृत बिन्दुवार निदेश दिया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

1-हेलीपैड के लिए खुले स्थान का चयन करना चाहिए।

2-हेलीपैड के सतह को कठोर एवं मजबूत होना चाहिए।

3-हेलीपैड का निर्माण करते वक्त एच0 का निशान मोटे अक्षरों में सफेद रंग से लिखा जाना चाहिए। उक्त निशान का आकार 3 मीटर उँचा, 2.5 मीटर मोटा तथा लकीर का आकार 45 सेमी0 का होना आवश्यक है, ताकि पायलट को दूर से ही हेलीपैड आसानी से दृष्टिगोचर हो सके।

4-हेलीपैड से 20 मीटर की उँचाई तक 100 मीटर के क्षेत्र में कोई बाधा यथा उँचे भवन, ताड़ का पेड, मोबाईल का टावर, टेलिफोन /बिजली का पोल, तार आदि नहीं रहना चाहिए।

5-यदि हेलीपैड से 150 मीटर के अन्दर कोई टेफिलोन /बिजली का तार गुजरा हो तो उसे लाल झंडा लगा कर इंगित किया जाना चाहिए।

6-हेलीपैड पर Wind Sock (हवा का मोजा) लगाया जाना चाहिए, ताकि हेलीपैड के आस-पास के वातावरण मं हवा के रूख को पायलट द्वारा देखा जा सके।

7-विशेष परिस्थिति में हेलीपैड को Locate करने के लिए धुंआ की मदद ली जा सकती है। इससे हवा के रूख का भी पता लग सकता है तथा पायलट को हेलीकॉप्टर उतारने में सहुलियत हो सके।

8-हेलीकॉप्टर के आकार एवं उसके वजन के अनुसार हेलीपैड तैयार करना चाहिए।

9-हेलीपैड के Funnel Area से 245 मीटर की दूरी से हेलीपैड दृष्टिगोचर होना चाहिए।

10-हेलीपैड के निर्माण में मानक CAR (Civil Aviation Requirement) का ध्यान रखा जाना चाहिए जिससे हेलीपैड की स्थिति अक्षांश एवं देशांतर से पायलट को हेलीपैड के वास्तविक स्थिति का पता चल सके।

11-जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम के पूर्व पायलट के साथ Co-oridinate सही तरीके से करना चाहिए।

कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा तथा प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि हेलीपैड के निर्माण में उक्त निदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी भी इस संबंध में यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन-अनु0पदा0,मधेपुरा/उदाकिशुनगंज/सभी प्रखंड विकास पदा0 /कार्य0अभि0, भवन/प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा)

22-सामान्य

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि निदेशक -सह- अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-696, दिनांक-19-01-2014 द्वारा सरकारी सेवक प्रोत्साहन पुरस्कार योनजा 2014-15 के अधीन राज्य के जिला स्तर पर कार्यरत पदाधिकारियों /कर्मचारियों को पुरस्कृत करने हेतु विस्तृत निदेश दिया गया है। प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा को निदेशित किया गया कि विभागीय निदेश के आलोक में अच्छे कर्मचारी का चयन कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

23-प्रोग्राम

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सहायक मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, बिहार, पटना के पत्रांक-28, दिनांक-07-01-2015 द्वारा अति विशिष्ट महिलाओं के लिए "जिला महिला सम्मान" से पुरस्कृत करने हेतु तीन अभ्यर्थियों की सूची प्रेषण करने का निदेश दिया गया है। बताया गया कि उक्त सूची विभाग को भेजी जा चुकी है। पुनः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी तथा जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

24-अल्पसंख्यक कल्याण

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकार के प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2800, दिनांक-13-01-2015 द्वारा राज्य के सभी प्रमंडलों एवं जिलों में अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय भवन एवं अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के आवास निर्माण हेतु प्राक्कलन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि विभागीय निदेश के आलोक में आवास निर्माण हेतु अविलम्ब प्राक्कलन तैयार कर विभाग को उपलब्ध करावें तथा अनुपालन से अवगत करावें। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि इस संबंध में कार्यपालक अभियंता से सम्पर्क कर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

25- GPF Missing Contribution Report

जिला भविष्य निधि, मधेपुरा द्वारा **GPF Missing Contribution Report** से संबंधित प्रतिवेदन के अवलोकन से निम्नवत् स्थिति पायी गयी :-

Sl. No.	Total No. of DDO's	No. of DDO's Forwarded (Missing)	Remark

1	100	100	82 rest DDO's to be forwarded (Reminder sent to all DDO)

क्र0	विभाग का नाम	अंशदाता	प्राप्त प्रतिवेदन	लंबित प्रतिवेदन
1	पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा **(HOM001)**	55	50	5
2	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मधेपुरा के अधीन (उच्च एवं मध्य विद्यालय, के कुल-12)	46	32	14
3	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा **(ANI010)**	1	0	1
4	अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, मधेपुरा **(RWD003)**	3	0	3
5	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, उदाकिशुनगंज **(RWD002)**	4	1	3
6	कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमंडल, राघोपुर, जिला-सुपौल **(WAT002)**	3	1	2

सभी संबंधित पदाधिकारियों को पुनः निदेश दिया गया कि अपने-अपने विभाग से संबंधित लंबित मामलों का अगले सप्ताह तक निष्पादन किया जाए तथा अनुपालन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाए। यह भी बताया गया कि इस संबंध में निदेशित किये जाने के बावजूद भी अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है, जो खेद का विषय है।

(अनुपालन- जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मधेपुरा /सभी संबंधित पदाधिकारी)

26-राईट-अप

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मधेपुरा तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बैठक /सेमिनार में भाग लेने के उपरान्त राईट-अप समर्पित किया गया है, जो अच्छी बात है, परन्तु अभी भी बहुत सारे पदाधिकारियों द्वारा बैठक में भाग लेने के उपरान्त राईट-अप समर्पित नहीं किया जाता है। पुनः सभी पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि जैसे ही वे राज्य स्तरीय बैठक /कार्यशाला /सेमिनार में भाग लेने के उपरान्त मुख्यालय वापस लौटे, तत्पश्चात् एक संक्षिप्त राईट-अप अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करें, जिससे यह पता चल सके कि विभाग द्वारा क्या-क्या निदेश दिये गये हैं।

(अनुपालन-सभी संबंधित पदाधिकारी)

27-अन्यान्य

❖ **सम्पत्ति का ब्यौरा** :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सम्पत्ति का ब्यौरा सभी पदाधिकारियों एवं उनके अधीनस्थ कर्मियों का भर कर दिया जाना है। बैठक में उपस्थित आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन किया जाना है, तत्पश्चात् विहित प्रपत्र में वांछित सूचना भर कर उनके कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए, ताकि उसे पी0डी0एफ0 तैयार कर जिले के वेबसाईट पर अपलोड किया जा सके। साथ ही उनके द्वारा विहित प्रपत्र की प्रति मधेपुरा जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा से अनुरोध किया गया। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि विहित प्रपत्र की प्रति जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे तथा वांछित प्रपत्र को

तैयार करवाने एवं जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराने में अपेक्षित सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

❖ **हमारा जल, हमारा जीवन** :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 13 से 17 जनवरी, 2015 तक हमारा जल, हमारा जीवन कार्यक्रम अन्तर्गत दीर्घकालिक विकास हेतु जल प्रबंधन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारा जल, हमारा जीवन के बारे में विस्तार से बताया जायेगा। जिलाधिकारी के निदेशानुसार उक्त कार्यशाला में उपलब्ध जल के श्रोत, विभिन्न प्रकार के कार्यो के लिए उसका उपयोग, आवश्यकतानुरुप आपूर्ति में कठिनाईयाँ, मांग को पूरा करने के लिए स्थानीय स्तर पर समाधान, समेकित जल प्रबंधन के लिए भविष्य का रोड मैप आदि विषयों पर विस्तार से श्री राकेश कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा विस्तार से बताया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

21/1/15 Khalid 21/01/15 21/01/15 C-operator

निजी सहायक	**प्रभारी पदाधिकारी**	**जिलाधिकारी**
जिला गोपनीय शाखा,	**जिला गोपनीय शाखा,**	**मधेपुरा।**
मधेपुरा।	**मधेपुरा**	

ज्ञापांक....172....../गो0, मधेपुरा, दिनांक....21/01/15

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता, आपदा, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /सिविल सर्जन, मधेपुरा /जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा /जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा /सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, आर0टी0पी0एस0, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषांग, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत, मधेपुरा /अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा /जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला लेखा पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, मधेपुरा /जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला मत्स्य पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला अवर निबंधक, मधेपुरा /जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला नियोजन पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा /श्रम अधीक्षक, मधेपुरा /सहायक आयुक्त वाणिज्यकर, मधेपुरा / सहायक नियंत्रक, माप-तौल, मधेपुरा /महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा /जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, अजाविनी, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज /त्रिवेणीगंज /राघोपुर /कार्यपालक अभियंता, नलकूप प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, शहरी विकास

अभिकरण, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा /वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, सहरसा /कार्यपालक अभियंता, काडा, मधेपुरा/ जिला अभियंता, जिला परिषद्, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, मनरेगा मधेपुरा/ औषधि निरीक्षक, मधेपुरा /आई0टी0 मैनेजर, समाहरणालय, मधेपुरा / जिला अग्रणी प्रबंधक, मधेपुरा /कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा /वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सहरसा /वनो के क्षेत्र पदाधिकारी, मधेपुरा /अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा /सहायक अभियंता, दूरभाष, मधेपुरा / निदेशक, ग्रामीण स्वरोजगार प्र0 संस्थान, भारतीय स्टेट बैंक, मधेपुरा / सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा को Website में upload करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को email करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/01/15	21/01/15	21/01/15
निजी सहायक **जिला गोपनीय शाखा,** **मधेपुरा।**	प्रभारी **पदाधिकारी** **जिला गोपनीय शाखा,** **मधेपुरा**	**जिलाधिकारी** **मधेपुरा।**

21/01/15 C. operator